न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 54 / 2018 (अपील)

गोकुल पुत्र बक्शू उम्र 70 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ढाणी रेबारियान तहसील रामगंमण्डी जिला कोटा

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 07.08.2018 मि0नं0 12 / 2018 न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

श्री शिवनारायण नागर, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः–26.02.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट जिला कोटा ने ग्राम ढाणी रेबारियासन की आराजी खसरा नम्बर 534 की 0.16 हे0 किस्म चारागाह में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 12 / 18 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाकर 24 / – रूपये का शास्ति व 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 07.08.2018 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 29.08.2018 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम ढाणी रेबारियान की आराजी खसरा नं0 534 रकबा 0.16 हैक्टयर पर अतिक्रमी की रिपोर्ट करने पर प्रकरण दर्ज कर भूमि से बेदखल करने तथा जुर्माना 24 / – रूपये कायम करने एवं 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जवाब एवं शहादत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही मनमर्जी रूप से जल्दबाजी में बिना साक्ष्य के होते हुये ही विधि विरूद्व रूप से प्रकरण में प्रार्थी अपीलाण्ट को दोषी मानकर जुर्माना व सजायाब किये जाने में गंभीर त्रुटि की हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य हल्का पटवारी द्वारा पेश नहीं की गयी थी कि जिससे प्रार्थी के विरूद्व पश्चावर्ती अतिक्रमण विवादित आराजी बाबत होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता हो, न इस बारे में किसी प्रकार की सशपथ साक्ष्य या स्वतन्त्र साक्ष्य ही पत्रावली में मौजूद थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की हैं। अपीलान्ट का भूमि पर कब्जा नहीं हैं, पैमाइस कर अपीलाण्ट की

Scanned by CamScanner

खाते की भूमि के अलावा सरकारी भूमि पाये जाये तो अपीलाण्ट उक्त भूमि को छोडने को तैयार हैं।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। पेरोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम ढाणी रेबारियान की आराजी खसरा नं0 534 रकबा 0.16 हैक्टयर पर अतिक्रमी की रिपोर्ट करने पर प्रकरण दर्ज कर भूमि से बेदखल करने तथा जुर्माना 24/- रूपये कायम करने एवं 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जवाब एवं शहादत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही मनमर्जी रूप से जल्दबाजी में बिना साक्ष्य के होते हुये ही विधि विरूद्व रूप से प्रकरण में प्रार्थी अपीलाण्ट को दोषी मानकर जुर्माना व सजायाब किये जाने में गंभीर त्रुटि की हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य हल्का पटवारी द्वारा पेश नहीं की गयी थी कि जिससे प्रार्थी के विरूद्व पश्चावर्ती अतिक्रमण विवादित आराजी बाबत होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता हो, न इस बारे में किसी प्रकार की सशपथ साक्ष्य या स्वतन्त्र साक्ष्य ही पत्रावली में मौजूद थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की हैं। अपीलान्ट का भूमि पर कब्जा नहीं हैं, पैमाइस कर अपीलाण्ट की खाते की भूमि के अलावा सरकारी भूमि पाये जाये तो अपीलाण्ट उक्त भूमि को छोडने को तैयार हैं। तथा भविष्य में कभी अतिक्रमण नहीं करने बाबत कथन किया। इसलिए अपील स्वीकार की जावें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.08.2018 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 06.09.2018 को पेश की गई है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है गोकुल पुत्र बक्शू उम्र 70 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ढाणी रेबारियान तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा, राज0 ने ग्राम ढाणी रेबारियासन की आराजी खसरा नम्बर 534 की 0.16 हे0 किस्म चारागाह में अनाधिकृत कब्जा काश्त किया है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बाबत नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखल करते हुए 24/- रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

8. अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो,

Scanned by CamScanner

तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा की जावें कि अतिक्रमी ने वास्तव में कब्जा हटा लिया है तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है। कब्जा नहीं हटाया जाने की स्थिति में नियमानुसार सजा का आदेश यथावत रहेगा और तहसीलदार अतिक्रमी को सजा भुगताएगा ।

10. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner